पत्रांक संख्या – 3/रा.पु.–621/05 का. ..../
झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

जे. बी. तुविद,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

विषय :– बिहार पुर्नगठन अधिनियम '2000' के अर्न्तगत अंतिम रूप से आवंटित उत्तरवर्त्ती बिहार एवं झारखंड राज्य के कर्मियों के पारस्परिक स्थानान्तरण के संबंध में।

रॉंची, दिनांक .... सितम्बर, 2008

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पंत्राक 2092 दिनांक 01.07.2005 के द्वारा बिहार पुर्नगठन अधिनियम – 2000 के अन्तर्गत अंतिम संवर्ग आवंटन के पश्चात पारस्परिक राज्य स्थानान्तरण हेतु बंधेज/शर्त्तो के नीतिगत बिन्दु पर झारखंड सरकार की सहमति संसूचित की गई है। पुनः विभागीय पंत्राक 6860 दिनांक 21.12.2006 से कतिपय बिन्दुओं पर बिहार सरकार की सहमति प्रदान करते हुए तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त क्रम में यह पाया जाता है कि अंतिम कैडर आवंटन के बाद काफी समय व्यतीत होने के बाद भी कर्मियों द्वारा पारस्परिक राज्य स्थानान्तरण के आवेदन दिये जाते है। कई–एक मामले में यह भी पाया जाता है कि पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु अभ्यावेदन को राज्य सरकार की अनुशंसा प्राप्त कर बिहार सरकार की सहमति हेतु भेजे जाने के पश्चात् कतिपय कर्मियों द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अब पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए इच्छुक नहीं है।

3. अतः झारखंड सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये गए है :–

(i) अंतिम संवर्ग बंटवारे के पश्चात् चार माह के अन्दर ही पारस्परिक राज्य स्थानान्तरण के आधार पर संवर्ग परिवर्त्तन हेतु प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा।

(ii) पारस्परिक स्थानान्तरण के आधार पर अभ्यावेदन समर्पित करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा बिहार सरकार को अनुशंसा सहित अभ्यावेदन को अग्रसारित करने के बाद अभ्यावेदन को वापस लेने का अनुरोध मान्य नहीं किया जायेगा।

4. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय से सरकारी कर्मियों को अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(जे. बी. तुविद)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 3/रा.पु.–621/05 का. 5460/ रॉंची, दिनांक 15 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2008

प्रतिलिपि :– सभी प्रधान सचिव/सचिव, झारखंड, रॉंची/ उप सचिव (एस. आर.), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.10.08.
सरकार के सचिव।